पत्र सं०- एम-04-52/2007.....वि०(2)-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सेवा में,

श्री मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सभी कोषागार पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-.....

विषयः- मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा के अंतर्गत व्ययगत राशि को समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

प्रसंगः- वित्त विभागीय पत्रांक 11578 दिनांक 04.12.2009, पत्रांक 3979 दिनांक 12.04.2010 एवं पत्रांक 6987 दिनांक 28.07.2011.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नांकित बातें कहनी है :-

बिहार कोषागार संहिता 2011के नियम 331 के अनुसार सिविल जमा (लोक लेखा) में जमा राशि तीन वर्ष के बाद व्ययगत हो जाती है इस राशि को समेकित निधि के संबंधित शीर्ष में बुक अंतरण के द्वारा जमा कर दिये जाने का प्रावधान है । इसी प्रकार बिहार कोषागार संहिता' 2011 के नियम 344 के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाता में जमा राशि दो वर्ष के बाद व्ययगत हो जाती है । फलस्वरूप 2008-09 तक सिविल जमा खाता में जमा राशि व्ययगत हो गयी है तथा 2009-10 तक व्यक्तिगत जमा खाता में जमा राशि व्ययगत हो गयी है ।

ऐसी परिस्थिति में अर्थात् बिहार कोषागार संहिता' 2011 नियम-341 एवं 344 के आलोक में 31 मार्च 2009 तक सिविल जमा मुख्य शीर्ष 8443 के लघु शीर्ष -111- अन्य विभागीय जमा (विपत्र कोड सं0- 8443001110001) में जमः राशि जिसकी निकासी अभी तक नहीं हुई है, की निकासी कर सरकार की संचित निधि के संगत शीर्ष में यदि पूर्व में उसकी निकासी गैर-योजना मद में राजस्व मद में हुई हो तो लघु शीर्ष-911- घटायें अधिक अदायगियों की वसूलियें एवं उपशीर्ष-0002 अधिक / अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी एवं पूंजीगत व्यय से होने की स्थिति में लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय तथा उपशीर्ष-0090- घटाये पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथाा वसूलियों में आपके द्वारा जमा कर दी जाय । राज्य योजना मद/केन्द्रीय योजनार्गत योजना/ केन्द्रीय प्रायोजित योजना की राशि के लिए उपशीर्ष-0102/0402/0602 क्रमशः होगा । पूंजीगत व्यय के लिए लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय उपशीर्ष-घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियां राज्य योजना/केन्द्रीय

C.NO- 136424/12

योजनागर्त योजना/केन्द्र प्रायोजित योजना में क्रमशः 0190/0490/0690 में चालान से जमा करा ्या जाना होगा और प्रत्येक राशि के लिए एक विपत्र कोषागार से तैयार कर जमा कर दिया जाय । इसकी सूचना महालेखा-परीक्षक की लेखा संहिता खण्ड-II में अर्न्तविष्ट निदेशों के अनुसार तैयार की गयी एक सूची कोषागार पदाधिकारी द्वारा तुरंत महालेखाकार को भेज दी जाय ।

3. जमा की गयी राशि के लिए BTC Form- 53 पर विपत्र तैयार करना है । विपत्र के साथ समेकित निधि के संगत शीर्ष लघु शीर्ष-911- घटाएँ वापसियाँ लिखा चालान संलग्न करना होता है । पारित विपत्र भुगतान हेतु बैंक नहीं प्रेषित किया जायेगा । बल्कि कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित करने के साथ ही बुक अंतरण द्वारा राशि समेकित निधि शीर्ष में अंतरित की जायेगी । व्यक्ति जमा खाता में जमा राशि जो व्ययगत हो गयी है, के संदर्भ में भी ऊपर अंकित प्रक्रिया का पालन किया जाना है । माह के अंत में इस संबंधी सूचना महालेखाकार, कार्यालय को भी प्रेषित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक - एम-04-52/2007.....9095.....वि०(2) पटना, दिनांक.....30/8/12.....
प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।अनुरोध है कि सिविल जमा में 2008-09 एवं व्यक्तिगत जमा में वर्ष 2009-10 तक की जमा राशि के व्ययगत को जाने के फलस्वरूप, अब यदि उक्त राशि की जरूरत हो तो उसके लिए नया बजट प्रावधान कराने की कृपा की जाय ।

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–12/प0–विविध–08–95/12.....1071(12).....पटना, दिनांक– 03/12/012

प्रतिलिपि–प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रशासी पदाधिकारी,
राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।